कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008 -2009			संशोधित 2008 -2009			बजट 2009 -2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		300.00	45.50	345.50	210.00	46.00	256.00	300.00	49.00	349.00
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**300.00**	**45.50**	**345.50**	**210.00**	**46.00**	**256.00**	**300.00**	**49.00**	**349.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं *	3451	3.00	8.49	11.49	0.23	10.43	10.66	3.00	12.73	15.73
श्रम और रोजगार										
कोयला खान श्रमिक कल्याण										
2. कोयला खान पेंशन योजना/ जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	...	33.52	33.52	...	31.02	31.02	...	30.52	30.52
कोयला और लिग्नाइट										
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	135.00	...	135.00	132.00	...	132.00	135.00	...	135.00
4. कोयला खान क्षेत्रों में यातायात आधारभूत ढांचे का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	21.80	...	21.80	0.01	...	0.01	22.00	...	22.00
5. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
6. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	30.00	...	30.00	34.70	...	34.70	30.39	...	30.39
7. व्यापक ड्रिलिंग	2803	60.00	...	60.00	15.00	...	15.00	60.00	...	60.00
8. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	2803	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
9. कोयला नियंत्रक	2803	0.20	3.49	3.69	0.26	4.55	4.81	0.31	5.75	6.06
जोड़-कोयला और लिग्नाइट		**267.00**	**3.49**	**270.49**	**201.97**	**4.55**	**206.52**	**282.70**	**5.75**	**288.45**
10. *कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय*										
10.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
10.02 घटाइए-कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-30.00	-30.00	...	-30.00	-30.00	...	-30.00	-30.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	30.00	...	30.00	7.80	...	7.80	14.30	...	14.30
कुल जोड़		***300.00***	***45.50***	***345.50***	***210.00***	***46.00***	***256.00***	***300.00***	***49.00***	***349.00***

* *आयोजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है।*

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12801	...	1945.00	1945.00	...	1388.55	1388.55	...	1369.75	1369.75
	12803	...	772.00	772.00	...	506.79	506.79	...	524.09	524.09
	जोड़	...	*2717.00*	*2717.00*	...	*1895.34*	*1895.34*	...	*1893.84*	*1893.84*
2. कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	...	3214.70	3214.70	...	2755.00	2755.00	...	2900.00	2900.00
3. सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	665.30	665.30	...	665.30	665.30	...	580.57	580.57
जोड़		**...**	**6597.00**	**6597.00**	**...**	**5315.64**	**5315.64**	**...**	**5374.41**	**5374.41**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. विद्युत	12801	...	1945.00	1945.00	...	1388.55	1388.55	...	1369.75	1369.75
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	270.00	4652.00	4922.00	202.20	3927.09	4129.29	285.70	4004.66	4290.36
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	30.00	...	30.00	7.80	...	7.80	14.30	...	14.30
जोड़		**300.00**	**6597.00**	**6897.00**	**210.00**	**5315.64**	**5525.64**	**300.00**	**5374.41**	**5674.41**

1. सूचना प्रौद्योगिकी सहित सचिवालय/आर्थिक सेवाएं : इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. कोयला खान पेंशन योजना/जमा सम्बद्ध बीमा योजना के लिए अंशदान : कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू की गई। इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.1/6% के आंदान द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा की शर्त पर कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3% की दर से अंशदान करती है। योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। कोयला खनिकों के लिए जमा सम्बद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा : इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के

अधीन गैर-कोकिंग तथा कोकिंग कोयले पर 10 रूपए प्रतिटन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

4. कोयला खान क्षेत्रों में यातायात की आधारभूत संरचना का विकास : इसमें कोयला खान क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए व्यवस्था है। यह व्यवस्था एकत्रित उपकर (उत्पाद शुल्क) में से की जाती है।

5. अनुसंधान और विकास : इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है।

6. क्षेत्रीय अन्वेषण : इसमें कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि की पूर्ति करने की दृष्टि से कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

7. विस्तृत ड्रिलिंग : गैर सीआईएल कोयला खनन ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग हेतु प्रावधान किया गया है ताकि प्राप्त भू वैज्ञानिक रिपोर्टों से संभावित निवेशकों को कोयला खनन के बारे में निवेश करने का निर्णय लेने और खनन योजना को तैयार करने में लगने वाले समय में कमी करने में सहायता मिल सके। इस उपाय से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

8. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण : इसमें कोयला खान क्षेत्रों में भूमि पुनरूद्धार और धंसाव नियंत्रण सहित पर्यावरणीय संरक्षण संबंधी उपाय करने के लिए प्रावधान किया गया है

9. कोयला नियंत्रक : इसमें कोयला नियंत्रक के कार्यालय एवं उसकी स्थापना के लिए प्रावधान है।

10. कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण : इसमें कोल इंडिया लि. के लिए कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु व्यवस्था है। कोल इंडिया लि. द्वारा निधियां अग्रिम तौर पर प्रदान की जाती हैं।

11. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुत प्रावधान : सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।